उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–101 / 2020–21

PUNJAB NATIONAL BANK, B.S. CITY BRANCH

बनाम्

A ONE TRADERS

–: आदेश :–

30.03.2022

प्राधिकृत पदाधिकारी, Punjab National Bank, Bokaro Steel City Branch Bokaro द्वारा धारा 14 (1) and (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी M/S A One Traders पार्टनर मो0 जलालुद्दीन अंसारी पिता डोमन चौधरी सा0–बारू, थाना–जरीडीह, बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति / भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचेत किया गया।

प्रथम पक्ष Punjab National Bank, Bokaro Steel City Branch Bokaro की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Equitable Mortgage/Registered Mortagag of Land and Building bearing Deed No. 2856 Sl No. 3150 dated 19.04.1966 R.S. Khata No. 12, R.S. Plot No. 444 Thana No.-81, Mouza Kalyanpur, Bokaro Area-75 decimals and Structures thereon.) को गिरवी रखते हुए बैंक ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–31.10.2018 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। आवेदन की तिथि तक ऋणकर्त्ता पर कुल रूपये 87,11,537.00 के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT–2002 की धारा–14 (1) & (2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की मॉग की गई है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि प्रथम पक्ष पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा सरफेसी एक्ट–2002 की धारा–14 में उल्लेखित नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है। बैंक के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध की गई सम्पूर्ण कार्यवाही गैर–कानुनी, मनमाना और नियम विरूद्ध है। इसी कारण विपक्षी के द्वारा बैंक के विरूद्ध मान्नीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची में W.P. (c) 2128 of 2019 एवं सरफेसी एक्ट–2002 की धारा–17(1) के अन्तर्गत माननीय न्यायालय डी0आर0टी0, राँची में वाद दायर किया गया है जो अभी विचाराधीन है। अतः विपक्षी के अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची एवं मान्नीय न्यायालय डी0आर0टी0, राँची में अंतिम आदेश पारित होने तक आगे की कार्रवाई नहीं करने के लिए अनुरोध किया है।

दोनों पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा वास्तव में ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। जहाँ तक विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची एवं माननीय न्यायालय डी0आर0टी0, राँची में वाद दायर किया गया है, वह SARFAESI ACT 2002 की धारा 14 (1) and (2) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दायर वाद से उसका कोई संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त दोनों माननीय न्यायालयों से अब तक बैंक के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध की गई कार्रवाई के संदर्भ में कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। स्पष्टतः विपक्षी के द्वारा वाद को सिर्फ लंबित रखने का प्रयास किया जा रहा है जो उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी Punjab National Bank, Bokaro Steel City Branch Bokaro द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु

पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

30.03.2022

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

30.03.2022

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

C. C. Issued Vide
No.....Dated.....
2724

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.21 14:28:20 +05:30
Location: 192.168.1.102